राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–26 / 2014

राकेश परिहार

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शाहरी विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 06.03.2014
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेन्द्र दाधिच, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2013 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर वेतन स्थिरीकरण किया गया। दिनांक 01.09.2006 के द्वारा अपीलार्थी को नवीन वेतनमान 2008 में वेतन स्थिरीकरण किया जाकर पे–ग्रेड 5400 दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.12.2009 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाकर वेतन श्रृंखला 15600–39100 निर्धारित की जाकर ग्रेड–पे 5400 दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.01.2013 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जाकर वेतन श्रृंखला 15600–39100 निर्धारित कर ग्रेड–पे 6600 दी गई। जिसमें अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति तिथि 28.01.2001 मानते हुए पदोन्नति प्रदान की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2008 के द्वारा अपीलर्थी का नाम उचित स्थान पर रखा जावे अपीलार्थी को प्रथन नियुक्ति तिथि 08.01.1997 से मानते हुए अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति दिये जाने के आदेश फरमाये जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का

निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकारी प्राप्त है िकवह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। इस संबंध में नियमावली स्पष्ट है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने चयनित वेतनमान आदि के परिलाभ सेवा में स्थायीकरण की तिथि से दिये जाने के निर्णय दिये है, न कि अस्थायी नियुक्ति तिथि से। इस संबंध में सभी प्रासंगिक नियमों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप प्रकरण का परीक्षण कर विभाग नियमानुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील मं वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

5. उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य